



## Himachal Pradesh Board of School Education, Dharamshala-176213

हि0शि0बो0 शैक्षणिक/39/F.No.43/Vol-III/- 8744-8843

दिनांक: 11.05.2022

### अधिसूचना

अधिसूचित किया जाता है हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, अधिनियम, 1968 की धारा 19(3) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं कि कोविड-19 संक्रमण के कारण सत्र 2020-21 व 2021-22 में कक्षा तीसरी, पांचवी, आठवीं व नवीं से बारहवीं के पाठ्यक्रम में जो कटौती की गई थी, उसे शैक्षणिक सत्र 2022-23 से सरकार द्वारा विद्यालयों को नियमित रूप से खोले जाने के दृष्टिगत निरस्त किया जाता है।

शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु कक्षा तीसरी, पांचवी व आठवीं की वार्षिक परीक्षा पूर्ण पाठ्यक्रम से व कक्षा नवीं से बारहवीं की परीक्षा टर्म अनुसार (टर्म-1 व टर्म-2) पूर्ण पाठ्यक्रम से विभाजित किये गये पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित की जायेगी। प्रदेश के छात्रों व अध्यापकों की सुविधा के लिये शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु कक्षा नवीं से बारहवीं का टर्म अनुसार (टर्म-1 व टर्म-2) विभाजित किया गया पाठ्यक्रम कक्षावार/विषयवार बोर्ड की वेबसाइट [www.hpbose.org](http://www.hpbose.org) के Download Option में उपलब्ध है।

उपरोक्त के अतिरिक्त कक्षा तीसरी, पांचवी व आठवीं तथा नवीं से बारहवीं के आदर्श प्रश्न पत्रों की अधिसूचना अलग से जारी की जायेगी।

(डॉ० मधु चौधरी, हि0प्र0से0)  
सचिव

पृष्ठांकन संख्या: यर्थोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
2. निदेशक, (उच्चतर/प्रारम्भिक), शिक्षा निदेशालय, शिमला-1
3. राज्य परियोजना निदेशक, ISSE हि0प्र0 सरकार, शिमला-1
4. निजी सचिव (अध्यक्ष/सचिव), हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड।
5. अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/सहायक सचिव, हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड।
6. अनुभाग अधिकारी, सामान्य शाखा को इस आशय के साथ मामले को बोर्ड की आगामी बैठक में पुष्टि हेतु प्रस्तुत करे।
7. अनुभाग अधिकारी (IT Cell) को अधिसूचना को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. समस्त अनुभाग अधिकारी, हि.प्र.स्कूल शिक्षा बोर्ड।
9. लोक संपर्क अधिकारी, हि.प्र.स्कूल शिक्षा बोर्ड।

(डॉ० मधु चौधरी, हि0प्र0से0)  
सचिव